वित्तीय स्वीकृति

संख्या-44/2015/2244/52-3-14- बजट(29)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु जिला योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनागत)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी 1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 तथा आपके पत्र सं0-2162/अ0स0क0नि0-983/दशमो0छा0वृ0/2015-16 दिनांक 14.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2(12) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय में अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु जिला योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 10,53,00,000/- (रू0 दस करोड़ तिरेपन लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति के भुगतान स्वरूप देय धनराशि कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष व्यय □□□□□ □□विवरण □□□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र □□□ फरवरी, 2016 की समाप्ति □□ □□□□ □□ उपलब्ध □□□□□ जायेंगे।

3- जिन विद्यालयों/मदरसों □□ विरूद्ध छात्रवृत्ति वे□ □□□□□ में □□□□□□□□□□ की □□□□□ □□ □□□□छात्रवृत्ति की □□□□□ की □□□□□□□□□□की प्रबल □□□□□ □□ दृष्टिगत रखते□□□□□□ विद्यालयों/मदरसों □□छात्र/छात्राओं □□ छात्रवृत्ति का □□□□□ छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या □□ पूर्ण सत्यापन □□□□□ ही किया □□□□□ यदि फिर □□ □□□□□ □□वितरण में किसी प्रकार की □□□□□□□□ प्रकाश में □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ अधिकारी पूर्ण रूप □□उत्तरदायी होंगें।

4- □□□□□ □□ □□□□ किसी प्रकार □□व्यय □□□□□ प्राधिकार नहीं □□□ □□ जिन मामलों में □0प्र0 □□□ □□□□ □□ वित्तीय □□□ संग्रहों □□□ स्थायी आदेशों □□ अन्तर्गत राज्य □□□□□ □□□□ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की □□□ आवश्यक □□, □□ मामलों में व्यय □□□□□□□पूर्व □□□ स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

5- छात्रवृत्ति वितरण □□□□□ में □□□□ द्वारा □□□-□□□ □□ निर्गत शासनादेशों □□प्राविधानों का कड़ा□ □□□□□□□ सुनिश्चित किया □□□□□

6- उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2015-16 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही □□□□□ किया □□□□□

2- उपरोक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□ व्ययक □□ □□□□□ संख्या-48 □□अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-□□□□□□□ जातियों, जनजातियों □□□ अन्य पिछड़े वर्गों □□ कल्याण-□ □□□□□□□-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03- अल्पसंख्यको □□□ कल्याण-0302-अल्पसंख्यक □□□□□ □□ छात्रों/छात्राओं छात्रवृ□त्ति(जिला □□□□) - 21-छात्रवृत्तिया □ □□ छात्र □□□ □□नामें □□□□ □□□□□

3- □□□□□□□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□-1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 में प्रदत्त निर्देशों के□□□□ निर्गत किये □□ □□□हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या-2244(1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, केसरबाग, लखनऊ।
4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी,अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in